श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी, मुंगेर एवं श्री आनन्द बिहारी, जी0एम0, राजस्व, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी, लिमिटेड पटना की अध्यक्षता में दिनांक 04.01.2014 को "विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मुंगेर" के अभियंताओं के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथा पंजी।

सर्वप्रथम उपस्थित सभी अभियंताओं एवं अन्य पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। सरकार की कृत संकल्पित 24x7 विद्युत सेवा बहाल करने को मूर्त्त रूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि नियमित रूप से राजस्व संग्रहण, शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग, ससमय विद्युत विपत्र वितरण इत्यादि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। इस हेतु प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी सहयोग भी लिया जा रहा है जिसका फलाफल सराहनीय है, अर्थात् जिलाधिकारी के स्तर से विद्युत अभियंताओं के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है एवं वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की सहायता से LTIS एवं अन्य बकायेदार उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

<u>राजस्व संग्रहण :-</u>

राजस्व संग्रहण/वसूली की समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि मुंगेर जिला का विगत वर्ष के विरूद्ध वसूली काफी बेहतर है। इसी क्रम में विभाग द्वारा लक्षित 7.50 करोड़ रू0 के शत-प्रतिशत वसूली के लिए सभी अभियंताओं को तन्मयता का प्रदर्शन करना होगा। सर्वाधिक बेहतर वसूली करने वाले अभियंता को प्रोत्साहन स्वरूप राशि भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अतः कार्यपालक अभियंता उपरोक्त कार्य की सफलता सुनिश्चितता हेतु अपने अनुश्रवण में दैनिक समीक्षा करेंगे।

विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु विभागीय निदेशानुसार DTwise tagging करने का निदेश दिया गया है, जिसकी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अवर प्रमंडल, सदर, जमालपुर एवं तारापुर में कार्य पूर्ण कर लिया गया है परन्तु खड़गपुर में 133 में 122 पूर्ण हो गया है तथा शेष को यथाशीघ्र पूर्ण कर लिए जाने का आश्वासन संबंधित सहायक अभियंता को दिया गया। DTwise Consumer Tagging की संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र0	विद्युत अवर प्रमंडल	कुल DT	पूर्ण DT	अभ्युक्ति
01	सदर	303	25	
02	जमालपुर	314	67	
03	तारापुर	213	21	
04	खड़गपुर	133	--	कार्य प्रगति पर।

सभी सहायक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि DTwise Consumer Tagging का कार्य दिनांक 10.01.2014 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाए तथा इसकी दैनिक प्रगति की जानकारी email पर नियमित रूप से भेजी जाए।

राजस्व संग्रहण में अत्यधिक बढ़ोतरी हेतु LTIS उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग का शत-प्रतिशत भौतिक रूप से सत्यापन कनीय विद्युत अभियंता अपने पर्यवेक्षण में कराते हुए पंजी में नियमित मीटर रीडिंग की प्रविष्टि कराएँगे तथा सहायक विद्युत अभियंता/कार्यपालक अभियंता शहरी क्षेत्र में पूर्णतः MMC को बंद करने के लिए प्रतिदिन कम-से-कम 10% पंजी में संधारित रीडिंग की समीक्षा करेंगे। साथ ही बैठक में कनीय अभियंता को मीटर बुक के साथ भाग लेने का निदेश देंगे ताकि इसका भौतिक सत्यापन निरन्तर किया जा सके।

प्रथमतः कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि जिले के सभी LTIS उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध कराएँगे। तत्पश्चात् अन्ततः कनीय/सहायक/कार्यपालक विद्युत अभियंता यह प्रमाण देंगे कि- **"हमारे यहाँ जितने भी LTIS उपभोक्ता हैं, सभी का वास्तविक भौतिक रीडिंग किया जा चुका है एवं MMC शून्य है।"**

समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि पिछले माह में शहरी क्षेत्र में सदर अवर प्रमंडलान्तर्गत 92, जमालपुर-219, तारापुर-88 एवं खड़गपुर-149 विद्युत विच्छेदन किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सदर में शून्य, जमालपुर में 03, तारापुर में 01 एवं खड़गपुर में 02 विद्युत विच्छेद किया गया है। इसी क्रम में पृच्छा की गई कि जिन व्यक्तियों का विद्युत विच्छेद किया गया है, क्या वे पुनः कार्यालय में विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने हेतु आवेदन दिए हैं तो इस पर अवगत कराया गया कि काटे गए विद्युत के विरूद्ध सम्बन्ध स्थापित करने हेतु अभी भी कई आवेदकों द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। इस तरह का कृत्य स्पष्ट प्रमाणित करता है कि जिन व्यक्तियों का विद्युत विच्छेद किया गया है, वे वर्तमान में चोरी से विद्युत जला रहे है। इस निमित्त सहायक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि पूर्व में विद्युत विच्छेदित किए गए वैसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर इसका पुर्नसत्यापन कराया जाए जिन्होंने अबतक विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने हेतु कार्यालय में आवेदन समर्पित नहीं किया है। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया कि विभागीय निदेशानुसार चोरी से बिजली चलाने वाले उपभोक्ताओं के विरूद्ध किसी भी परिस्थिति में प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए तथा वैसे उपभोक्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिनके उपर विगत वर्षो में बड़ी राशि बकाया है और वे पुनः दूसरे के नाम से कनेक्शन लेकर बिजली चला रहे है। ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान हेतु पूर्व बकायेदार उपभोक्ताओं के वैध उत्तराधिकारी की जांच कर वर्तमान में बिजली चला रहे उपभोक्ता के उपर बकाया राशि जोड़कर राशि की वसूली की जाए। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, मुंगेर एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर पर निहित की जाती है।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक 6087, दिनांक 23.12.13 द्वारा सभी Disconnected/Non-Effective LTIS उपभोक्ताओं का भौतिक सत्यापन हेतु प्रदत्त निदेश के आलोक में इस कार्यालाय से निर्गत संयुक्तादेश ज्ञापांक 2610/गो0, दिनांक 29.12.13 द्वारा वरीय उपसमाहर्त्ताओं के नेतृत्व में अनुमंडलवार टीम का गठन कर अवैध रूप से स्वीकृत लोड से अधिक बिजली उपयोग करने वाले एवं विद्युत मीटर से छेड़छाड़ करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अतः उक्त संयुक्तादेश के अनुपालन के क्रम में अविलम्ब कार्रवाई कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए।

बड़े बकायेदारों के विरूद्ध दायर नीलाम पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी को दिया गया।

LTIS उपभोक्ताओं के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ताओं का शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग करने का निदेश संबंधित विद्युत अभियंताओं को दिया गया। समीक्षा के क्रम में उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग की संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार बताई गई :-

क्र0	विद्युत अवर प्रमंडल	कुल उपभोक्ताओं की संख्या	मीटर रीडिंग उपभोक्ताओं की संख्या
1	सदर	4067	2950
2	जमालपुर	2754	2332
3	खड़गपुर	2300	2025
4	तारापुर		

मीटर रीडर एजेन्सी एवं मीटर बिलिंग एजेन्सी के कर्मियो द्वारा बताया गया कि मास, बेनटेक्स, वाईपर, एवं नकोडिया कम्पनी से क्रय किए गए अधिकांश मीटर में तकनीकी खराबी पाई गई है। विशेषकर नकोडिया एवं मास कम्पनी द्वारा आपूर्ति किए गए मीटरों में बिजली नहीं रहने पर रीडिंग नहीं हो पाती है। अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक विद्युत अभियंता को निदेश दिया गया कि इस आशय की सूचना विभाग को अविलम्ब भेजी जाए ताकि अग्रत्तर कार्रवाई की जा सके।

मीटर रीडिंग एजेन्सी के कर्मी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो मीटर लगाने पर विरोध करते हैं एवं तनाव उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तदालोक निदेश दिया गया कि ऐसे उपभोक्ताओं की सूची कनीय विद्युत अभियंताओं को प्राप्त कराया जाए ताकि उन्हें नियमानुसार नोटिस निर्गत किया जाए तथा अन्यथा की परिस्थिति में चोरी की आशंका के मद्देनजर प्राथमिकी दर्ज कराई जा सके।

समीक्षा के दौरान कार्य0 विद्युत अभि0 ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अवर प्रमंडल कार्यालय को छोड़कर **धरहरा, असरगंज, बरियारपुर, टेटियाबंबर एवं संग्रामपुर** प्रखंड मुख्यालय भवन/कार्यालय में विद्युत कर्मियों की प्रतिनियुक्ति काउण्टर का संचालन किया जा रहा है।

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिले में कार्यान्वित मीटर रीडिंग एजेन्सी में कार्यरत् कर्मियों की संख्या निम्नवत् है :-

Sl. No.	Block	Meter Reading Agency	working employee
1	Munger	6	30
2	Jamalpur	6	24
3	Tarapur	3	12
4	Kharagpur	1	10
Total		**16**	**76**

कतिपय स्रोतों से ज्ञात हुआ कि मीटर रीडिंग के उपरान्त समय पर बिल नहीं देने के कारण उपभोक्ताओं द्वारा आपत्ति जताई जाती है जिसके संबंध में मीटर बिलिंग एजेन्सी ने बताया कि पूर्व माह में निर्गत मीटर बिल के समानुपात में वर्तमान माह में मीटर रीडिंग नहीं होने पर बिल निर्गत करना संभव नहीं है। विद्युत अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक विद्युत अभियंता एवं सहायक विद्युत अभियंता इस तकनीकी परेशानी को shortout कर समस्या का निराकरण कराएँगे एवं प्रत्येक माह नियमित रूप से मीटर रीडिंग एवं बिलिंग कार्य का संचालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराएँगे।

बैठक के दौरान सहायक अभियंता, जमालपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न स्रोतों से विद्युत बिल में सुधार हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों को पटना अवस्थित "प्रकृति" एजेन्सी को सुधार के लिए भेज दिए जाने के उपरान्त सुधार कर वापस उपलब्ध कराने में काफी समय लिया जाता है जिसके कारण वर्तमान समय में काफी आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जिला स्तर पर ही विद्युत बिल सुधार करने का कार्य होना चाहिए ताकि तत्क्षण सुधार कर बिल संबंधित उपभोक्ता को दिया जा सके। इस निमित्त विद्युत अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि विभाग को इस संबंध में पत्राचार किया जाए।

Reconductoring:-

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि रि-कंडक्टरिंग कार्य में प्रगति काफी कम हो रही है। स्पष्ट है कि कुल 619 कि0मी0 में से अबतक कुल 382.89KM एवं दिनांक 04.01.2014 तक 19.25KM Reconducturing का कार्य किया गया है। विद्युत अनुमंडल कार्यालयवार संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र0	विद्युत अवर प्रमंडल	लक्ष्य (कि0मी0)	दिसम्बर में (कि0मी0)	04.01.14 तक (कि0मी0)	कुल Reconducturing	प्रतिशत
1	मुंगेर	60	49.45	5.75	55.20	92.00%
2	जमालपुर	237	129.36	5.0	134.36	56.69%
3	तारापुर	190	132.62	0.0	132.62	69.80%
4	खड़गपुर	132	52.21	8.5	60.71	46.00%
कुल		**619**	**355.31**	**19.25**	**382.89**	**61.86%**

विभागीय निदेशानुसार प्रति माह कम-से-कम 25 कि0मी0 Reconducturing के लक्ष्य को अबतक अर्जित नहीं किया जाना खेदजनक है। इस हेतु कार्य0 अभि0 को निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप Reconducturing कार्य सुनिश्चित करने हेतु हरसंभव प्रयास किए जाएँ।

कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि विद्युत बिल से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु जिला जनता दरबार से भेजे गए आवेदनों का निष्पादन नियमित रूप से करते हुए प्रगति प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

6/1/14

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक......72......./गो0, दिनांक......08/01/2014

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, विद्युत/कार्य0अभि0 विद्युत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्य0अभि0, विद्युत आपूर्ति, अंचल, मुंगेर इसकी प्रति अपने स्तर से सभी संबंधितों को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/1/14

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक......72......./गो0, दिनांक......08/01/2014

प्रतिलिपि : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कारपोरेशन लि0, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री आनन्द बिहार, जी0एम0, राजस्व, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/1/14

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।